



कार्यालय राहत आयुक्त उत्तर प्रदेश, लखनऊ
एफ ब्लॉक, छठा तल, बापू भवन, उ०प्र० सचिवालय, लखनऊ

संख्या— 374/रा०आ०का०/2019-20/Flood-2019

प्रेषक,

जी०एस० प्रियदर्शी,

राहत आयुक्त,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

राहत आयुक्त कार्यालय

लखनऊ: दिनांक: 16 अगस्त, 2019

विषय:—नौका दुर्घटनाओं को रोकने हेतु एडवाइजरी के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि विगत कुछ दिनों से राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगातार हो रही वर्षा के कारण राज्य के अधिकांश नदियों के जलस्तर में तीव्र गति से वृद्धि होने की सूचना प्राप्त हो रही है ऐसी स्थिति में नावों के परिचालन में अत्यधिक सावधानी बरते जाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से यह सुनिश्चित करना होगा कि परिचालन के दौरान नावों में तय क्षमता से अधिक सवारियों को नहीं ले जाया जाय। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि केवल निर्बंधित नावों का ही परिचालन हो तथा परिचालन के दौरान सुरक्षा संबंधी आवश्यक उपकरण एवं व्यवस्थाएँ मौजूद हो। आपातकालीन स्थिति को छोड़कर किसी भी परिस्थिति में अंधेरा होने के पश्चात नावों का परिचालन न हो।

2— नौका संचालन के संबंध में राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा निम्नलिखित गाइडलाइन तैयार की गयी है:—

नौका संचालन के संबंध में एडवाइजरी

नाव दुर्घटना के प्रमुख कारण—

1. अयोग्य चालक दल—जिस तरह नए चालकों में कार दुर्घटनाएं अधिक होती हैं, वैसे ही नए लोगों द्वारा नाव के संचालन में शामिल होने से उच्च जोखिम रहता है।
2. नाव में क्षमता से अधिक भार/लोगों की सवारी।
3. पुरानी नाव या कई बार नाव की तेज रफ्तार के कारण नौका दुर्घटनाएं होती हैं।
4. मानकों का पूरा न करना।
5. दोषपूर्ण नाव डिजाइन और स्थिरता।
6. नाव में कभी-कभी यात्री हंगामा या अराजकता पैदा करते हैं, जिसके कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं।
7. जब चालक शराब के नशे में होता है, तो दुर्घटना की आशंका अधिक होती है।



8. POOR WEATHER CONDITIONS- यह कई गंभीर नौका दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है।

नाव दुर्घटना की घटनाओं को रोकने के लिये दिशा-निर्देश-

1. जिले में उपलब्ध सभी सरकारी नावों को पीले रंग के अघुलनशील पेंट से रंगा जाएगा ताकि ज्ञात हो सके कि वे सरकारी नावें हैं। साथ ही उन पर जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण का नम्बर तथा लदान क्षमता अंकित रहेगा।
2. सभी मोटर रहित नावों को स्थानीय पंचायत या जिला प्रशासन में रजिस्टर किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
3. **लोड लाइन चिन्हित किया जाना**—गहराई को रखांकित करने के लिये प्रत्येक नाव में काले पृष्ठभूमि में सफेद रंग से पेंट किया हुआ 30 से०मी० लम्बा, 15 से०मी० चौड़ा 2—5 से०मी० खुदा या जड़ा स्पष्ट चिन्ह के द्वारा लोड लाइन इंगित रहेगा। लोड लाइन नाव स्वामी द्वारा चिन्हित किया जायगा।
4. किसी भी परिस्थिति में लोड लाइन डुबाकर नौका का परिचालन नहीं किया जाएगा। नाव के प्रमुख स्थान पर वहन किए जाने वाले सवारियों की अधिकतम संख्या अंकित किया जाएगा।
5. प्रत्येक नाव को एक पृथक रजिस्ट्रेशन नम्बर दिया जाय तथा इसकी भार क्षमता (बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या) निर्धारित की जाय।
6. सामान्यतः नाव सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच परिचालित की जाएगी, परन्तु आपात स्थिति में रात्रि में संचालन विशेष प्रकाश-व्यवस्था में किया जायेगा।
7. जब कभी नाव दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति को गम्भीर चोट या संपत्ति की क्षति हो तो नाव का प्रभारी नाविक या मांझी तुरत निकटतम थाना में जाएगा और थाना प्रभारी को दुर्घटना से संबंधित परिस्थितियों की सूचना देगा।
8. नाव का चालक दल यह सुनिश्चित करेगा कि नाव के पेंदे में जब-जब पानी एकत्रित हो, पम्प द्वारा या उलीचकर सुरक्षित नौका परिचालन हेतु निष्कासित कर दिया जायगा।
9. किसी भी परिस्थिति में अन्य यात्रियों के साथ नाव में पशु को रखने की अनुमति नहीं दी जाय। यदि किसी यात्री के साथ पशु हो, तो वैसी परिस्थिति में नाव के चालक दल के अतिरिक्त मात्र संबंधित पशु एवं उसके मालिक को ही सफर करने की अनुमति दी जाय।
10. शराब के नशे में मदहोश और स्वयं का ख्याल रखने में अक्षम व्यक्ति को कदापि नाव संचालन की अनुमति न दी जाय तथा शराब पिये व्यक्ति को यात्री के रूप में नाव पर लेने से नाविक मना कर सकता है।



कार्यालय राहत आयुक्त उत्तर प्रदेश, लखनऊ

एफ ब्लॉक, छठा तल, बापू भवन, उ०प्र० सचिवालय, लखनऊ

11. प्रतिवर्ष 1 मई को क्षेत्र में संचालित होने वाली नावों की संख्या सहित मालिक एवं नाविक का पता दर्शाते हुए विवरण जिला कन्ट्रोल रूम में रखा जाय।
12. नाविकों तथा यात्रियों दोनों को नाव सुरक्षा हेतु जागरूक करने के लिए ग्राम पंचायतों में "नाव सुरक्षा जागरूकता अभियान" तीन माह में कम से कम एक बार चलाया जाय।
13. समय-समय पर अनुभवी नाविकों द्वारा उस क्षेत्र की सभी नावों की फिटनेस तथा चलने योग्य है अथवा नहीं, की जांच करवायी जाय तथा जांच में नाव में कमी पाये जाने पर मरम्मत के बाद ही संचालित की जाय।
14. स्थानीय स्तर पर नाविकों का अनौपचारिक समूह बनाया जाय तथा उनमें से एक या दो नाविकों को उस क्षेत्र की नावों की फिटनेस/अयोग्यता के संबंध में उपजिलाधिकारी/तहसीलदार को सूचित करने का दायित्व दिया जाय।
15. जिला प्रशासन संबंधित ग्राम पंचायत अथवा तहसील को नावों की जांच करने तथा कमी पाये जाने पर सुधार करने तक संचालन करने से रोकने का आदेश देने का अधिकार प्रदान करे।
16. ग्राम पंचायत/तहसील को औचक निरीक्षण करने के अधिकार प्रदान किये जाये ताकि अधिक भार लेकर चलने वाली नावों को रोका जा सके।
17. खराब मौसम की चेतावनी की पूर्व सूचना नाविकों तक एस०एम०एस०, पी०ए० सिस्टम, विशेष झण्डा आदि फहराकर या अन्य माध्यमों से दिये जाने तथा मौसम के सामान्य होने तक नौका संचालन रोकने की चेतावनी देने की व्यवस्था की जाय।
18. बाढ़ के मौसम में नाव में क्षमता से कम यात्रियों को चढ़ाने का निर्देश दिया जाय।
19. ग्राम पंचायत के माध्यम से क्षेत्र के सभी नाविकों को "कुशल" तथा "अर्धकुशल" दो श्रेणियों में वर्गीकृत कर प्रमाणित करा लिया जाय। 20 यात्रियों से अधिक क्षमता वाली नाव का संचालन "कुशल" नाविकों द्वारा ही किये जाने का अनुमोदन किया जाय।
20. जीवन रक्षक उपकरण जैसे लाइफ-बॉय तथा एक प्राथमिक चिकित्सा पेटी को नाव में रखना अनिवार्य किया जाय।
21. एक स्थान से दूसरे स्थान जाने हेतु नाव के लिये सुरक्षित रुट चैनल का निर्धारण पंचायत द्वारा कराया जाय।
22. विभिन्न घाटों पर लैंडिंग के लिये समुचित व्यवस्थाएँ करने के प्राविधान किये जायें तथा जहां रात में भी नौकायें चलती हों वहां समुचित प्रकाश व्यवस्था की जाय।



कार्यालय राहत आयुक्त उत्तर प्रदेश, लखनऊ
एफ ब्लॉक, छठा तल, बापू भवन, उ०प्र० सचिवालय, लखनऊ

23. दुर्घटना प्रवण क्षेत्र अथवा जल स्तर बढ़ने से नाव दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों का चिन्हांकन कर लिया जाय तथा वहां नौका संचालन में विशेष सावधानी बरती जाय।
24. पूर्व में घटित नाव दुर्घटनाओं का विवरण जिला प्रशासन द्वारा प्रतिवर्ष एकत्र किया जाय तथा इसकी रिपोर्ट राहत आयुक्त कार्यालय को प्रतिवर्ष 30 मई के पूर्व प्रेषित की जाय।
25. उपरोक्त दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर नाव संचालक के ऊपर पेनाल्टी लगाये जाने का प्राविधान जिला प्रशासन द्वारा किया जाय।

3— उक्त के संबंध में अनुरोध है कि नावों के परिचालन हेतु उपरोक्त गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें। इस गाइडलाइन के साथ राज्य सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित मानकों/नियमों का अनुपालन भी लागू कराने हेतु अपने आधीनस्थों को दिशा-निर्देश निर्गत करें एवं इसका दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

4— उक्त के अतिरिक्त जिन-जिन स्थानों पर नावें चलती हैं। वहां का सर्वे कराया जाए तथा यदि उन स्थानों पर अधिक आवागमन है तो क्या वहां पुल की आवश्यकता है, अगर आवश्यकता है तो इस संबंध में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव दिनांक 15 सितम्बर, 2019 तक राहत आयुक्त कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय,

(जी०एस० प्रियदर्शी)
राहत आयुक्त।